

प्रेसनोट दिनांक 16.08.2022

1. दिनांक 15.08.22 को वादी श्री विक्रम प्रजापति पुत्र स्व0 रामकेवल प्रजापति नि0 उसरू थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि उत्कर्ष सिंह उर्फ जय सिंह पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात आदि 02 नफर अभिरुपण द्वारा वादी का रास्त रोककर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 271/22 धारा 341, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.08.22 को वादी श्री अरुण कुमार यादव पुत्र कुत्तुर यादव नि0 महावां सहाई दूबे का पुरवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं0 यूपी 42 बीडी 0832 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मार कर घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 383/22 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.08.22 को वादी श्री अंगद पाण्डेय पुत्र स्व0 बालगोविन्द नि0 विद्यापुर थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र सुर्यभान नि0 विद्यापुर थाना तारून अयोध्या।आदि 08 नफर अभिरुपण द्वारा एक राय होकर जमीनी विवाद को लेकर वादी के घर में घुसकर वादी व परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा घरेलू समान तोड़ देना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 235/22 धारा 147, 323, 504, 506, 427, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.08.22 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर, अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा नि0 ओरवा अमानीगंज थाना खण्डासा अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 373/22 धारा 3/25 आर्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.08.22 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर, अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा नि0 ओरवा अमानीगंज थाना खण्डासा अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद चोरी की मो0सा0 यूपी 45 एस 3762 हीरो स्पेलेण्डर प्रो बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 374/22 धारा 41/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 15.08.22 को वादी आरक्षी सद्दाम हुसैन थाना खण्डास अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मवीर पुत्र श्यामलाल नि0 चमरूपुर थाना खण्डास अयोध्या।गिर0 जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 188/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।